रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21062024-254855
CG-DL-E-21062024-254855

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2289] नई दिल्ली, शुक्रवार , जून 21, 2024/ज्येष्ठ 31, 1946
No. 2289] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 21, 2024/JYAISHTHA 31, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2024

का.आ. 2409(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 2340(अ), तारीख 16 जून, 2021 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) पैरा 1 में "प्राईवेट प्रयोगशालाएं" शब्दों के स्थान पर "प्रयोगशालाओं या पर्यावरणीय प्रयोगशाला के रूप में संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"3. प्रयोगशाला को मान्यता तीन वर्ष की कालावधि के लिए अनुदत्त की जाएगी" ;

(iii) पैरा 4 का लोप किया जाएगा ;

(iv) पैरा 7 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"7(1). मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित सभी अंतर-प्रयोगशाला तुलना अभ्यास और मान्यताप्राप्त होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर मान्यता के अधीन सभी मानकों को

कवर करते हुए आईएसओ/आईईसी : 17043 के अधीन प्रमाणित दक्षता परीक्षण प्रदाता द्वारा संचालित दक्षता परीक्षण कार्यक्रम में भाग लेगी ।

(2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभ्यास के अभिलेखों और रिपोर्टों को पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराएगा ।

(3) मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला अभ्यास और कार्यक्रम के संचालन के लिए लागू फीस का संदाय करेगी ।"।

[फा. सं. क्यू-15018/13/2020-सीपीडब्लयू]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 2340(अ), तारीख 16 जून, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2024

S.O. 2409(E).—In exercise of the powers conferred by section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2340(E), dated the 16th June, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-ll, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

In the said notification,−

(i) in paragraph 1, for the words "private laboratories", the words "laboratories or institutes as environmental laboratories" shall be substituted;

(ii) for paragraph 3, the following paragraph shall be substituted; namely:−

"3. The recognition of laboratory shall be granted for a period of three years";

(iii) paragraph 4 shall be omitted;

(iv) for paragraph 7, the following paragraph shall be substituted, namely:−

"7. (1) The recognised laboratory shall participate in an all inter-laboratory comparison exercise conducted by the Central Pollution Control Board and a proficiency testing programme conducted by the proficiency testing provider certified under ISO/IEC: 17043, covering all the parameters under recognition, within two years from the date of recognition.

(2) The Central Pollution Control Board shall make available the records and reports of the exercise in the public domain.

(3) The recognised laboratory shall pay the applicable fee for the conduct of the exercise and the programme.".

[F. No. Q-15018/13/2020-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note.− The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part ll, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 2340(E), dated the 16th June, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.06.21 21:40:36 +05'30'